तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 84/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम राकेश भाई
20.03.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी राकेश भाई पुत्र तुलसी भाई प्रजापति, जाति– प्रजापति, ग्राम अलोडा, तालुका मेहसाणा, जिला– मेहसाणा (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स अतिथि रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर सर्कल, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 25.10.2021 को मैसर्स अतिथि रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर सर्कल, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी राकेश भाई पुत्र तुलसी भाई प्रजापति से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Brand-Soya oil) का नमूना संख्या S-1510, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./752/Act/2021/946 दिनांक 15.12.2021 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश माली उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 19.03.2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होंने बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सोयाबीन ऑयल के सेम्पल को एकत्रित कर जाब्ते में लेकर एक निश्चित ताप में स्टोर नही किया तथा कम–ज्यादा तापामान होने पर सेम्पल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उक्त सेम्पल दिनांक 25.10.2021 को लिया गया है जिसकी लेब रिपोर्ट 15.12.2021 को प्राप्त हुई है अर्थात् उक्त सेम्पल काफी समय अन्तराल के बाद प्राप्त हुई एवं सेम्पल की जांच हेतु इतने अन्तराल में सेम्पल को सुरक्षिति व स्टोरेज रखने एवं गुणवत्ता प्रभावित नही होने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 25.10.2021 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स अतिथि रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर सर्कल, माउन्ट आबू जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की ....लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 84/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम राकेश भाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामिलमें जारी

हैसियत से प्रतिवादी राकेश भाई पुत्र तुलसी भाई प्रजापति, जाति– प्रजापति, निवासी– अलोडा, तहसील– मेहसाणा, जिला– मेहसाणा उपस्थित मिले। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स अतिथि रेस्टोन्रेट, अम्बेडकर सर्कल, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान अतिथि रेस्टोरेन्ट की रसोई में आम जन के खाद्य सामग्री निर्माण में उपयोग हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Brand-Soya oil) के 15–15 किलोग्राम के 2 पैक्ड कंटेनर टीनों में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी राकेश भाई को प्रपत्र 5ए में गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने Refined Soyabean Oil (Brand-Soya oil) के एक पैक्ड टीन को खोलकर Refined Soyabean Oil (Brand-Soya oil) को हिला मिलाकर एकरुप करके उसमें से 1600 ग्राम Refined Soyabean Oil (Brand-Soya oil) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 275/– (अक्षरे रुपये दो सौ पिचहत्तर मात्र) प्रतिवादी विक्रेता राकेश भाई को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, उक्त गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने प्रतिवादी विक्रेता राकेश भाई व उक्त गवाह को चार साफ, सूखी, खाली शीशीयां दिखाकर खरीदशुदा Refined Soyabean Oil (Brand-Soya oil) को चारों शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक S-1510, नमूना लेने की तारीख व स्थान खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Brand-Soya oil) के नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी विक्रेता राकेश भाई व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये व खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों को कागज में लपेटकर विधिवत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार सीलचपडी कर सीलबन्द किया। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की। जिस पर प्रतिवादी विक्रेता राकेश भाई, उक्त गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो

......लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 84/2024 श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम राकेश भाई
	लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 26.10.2021 को नमूने का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 25.10.2021 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा मैसर्स अतिथि रेस्टोरेन्ट, अम्बेडकर सर्कल, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता राकेश भाई पुत्र तुलसी भाई प्रजापति से खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Soya oil) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Soya oil) के नमूना संख्या S-1510 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./752/Act/2021/946 दिनांक 15.12.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Soya oil) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी राकेश भाई पुत्र तुलसी भाई प्रजापति, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स अतिथि रेस्टोरेन्ट, माउन्ट आबू जिला– सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **<u>आदेश</u>** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Soya oil) (नमूना संख्या S-1510) के विक्रय हेतु प्रतिवादी राकेश भाई पुत्र तुलसी भाई प्रजापति, जाति– प्रजापति, ग्राम अलोडा, तालुका मेहसाणा, जिला– मेहसाणा (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स अतिथि रेस्टोनेरेट, अम्बेडकर सर्कल, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी राकेश भाई को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 25.4.2025 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)